राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website : www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 17989 दिनांकः- 18/8/2023

प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन बाबत्।

प्रसंगः– राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं समन्वय समिति (SLSC) की बैठक दिनांक 13.09.2022 की कार्यवाही विवरण क्रमांक 78744 दिनांक 21.09.2022, पत्रांक 129172–175 दिनांक 27.12.2022 एवं क्रमांक 17599 दिनांक 10.08.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपके विभाग के द्वारा शहरी निकायों के अन्तर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कराये जा सकने वाले कार्यो के लिये वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संबंधित जिलों के जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में गठित कमेठी के द्वारा अनुमोदन उपरान्त कार्यो को करवाये जाने हेतु आपके स्तर से संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था।

माननीय मुख्य सचिव महोदया के द्वारा दिनांक 16.08.2023 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार के कार्यो को नही कराये जाने एवं शुन्य प्रगति पर मुख्य सचिव महोदया द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्योजना तैयार कर संबंधित जिलों के जिला कलक्टर से अनुमोदन करवाये जाने के उपरान्त, कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किये जाने का श्रम करावें। योजनान्तर्गत सार्वजनिक पार्को का कम्पोजिट प्लांन तैयार किया जाकर समग्र रूप से विकास करवाया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के क्षेत्राधिकार कॉलोनियों में पार्को की चार दीवारी निर्माण / मरम्मत, पेन्टिंग, बाकिंग ट्रेक, वृक्षारोपण, पौधो की निराई गुढ़ाई, हैज कटिंग एवं कम्पोस्टपिट आदि का कार्य लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शहरों के मुख्य मार्गो पर हैरिटेज पेन्टिंग, सड़को के दोनों किनारो एवं डिवाईडर के मध्य वृक्षारोपण, पेन्टिंग आदि के कार्यो को कर्न्वजेन्स के माध्यम से संपादित करवाया जा सकता है। योजनान्तर्गत अनुमोदित कराये जा सकने वाले कार्यो का विवरण परिशिष्ट–1 के अनुरूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

18/8/23

शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 17990-18033 दिनांकः- 18/8/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY), राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, (IRGY), जयपुर।
6. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

परिशिष्ट- 1

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) में अनुमत कार्य :

1 पर्यावरण सरंक्षण कार्य :

i. सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य।
ii. उद्यान संधारण सम्बन्धी कार्य।
iii. फुटपाथ, डिवाईडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुये पौधों को पानी देने व संधारण का कार्य।
iv. नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का कार्य।
v. श्मशान व कब्रिस्तान में सफाई व वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य।
vi. उद्यानिकी (Horticulture) से सम्बन्धी कार्य।
vii. Forestry से सम्बन्धी कार्य।

2 जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य :

i. तलाब, गिनाणी, टांके, बावडी, जोहड आदि की मिट्टी निकालने, सफाई व सुधार (Improvement) सम्बन्धी कार्य।
ii. रेन वाटर हारर्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत व सफाई सम्बन्धी कार्य।
iii. जल स्त्रोतों के पुनर्रूद्धार सम्बन्धी कार्य।

3 स्वच्छता एवं सेनीटेशन सम्बन्ध कार्य :

i. ठोस कचरा प्रबंधन (Solid waste management) सम्बन्धी कार्य।
ii. नगरीय अपशिष्ठ के घर–घर संग्रहण (Door to door Collection) एवं पृथक्कीकरण (Segrigation) हेतु श्रमिक कार्य।
iii. ड़म्पिंग साईट/एम.आर.एफ. सेन्टर पर कचरे का पृथक्कीकरण कार्य।
iv. सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय व मूत्रालय की सफाई व रखरखाव।
v. नाला/नालियों की सफाई का कार्य।
vi. सडक व सार्वजनिक स्थलों पर झाडियों व घास की सफाई कार्य।
vii. निर्माण व विध्वंस कार्यो से उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य।

4 सम्पति विरूपण (Defacement of property)रोकने से सम्बन्धी कार्य :

i. अतिक्रमण व अवैध बोर्ड/होर्डिंग्स/बैनर आदि हटाने हेतु लेबर कार्य।
ii. सड़क डिवाईडर/रैलिंग/दीवार/सार्वजनिक दृश्य स्थल (Publicly visible spaces) आदि की पुताई/पेंटिंग का कार्य।

5 कन्वर्जेन्स कार्य :

i. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
ii. केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जेन्स।
iii. नगरीय निकाय के स्वयं के स्त्रोत से संचालित निर्माण कार्य में श्रम मद हेतु कन्वर्जेन्स।

6 सेवा सम्बन्धी कार्य।

i. कॉयन हाउस/गौशाला में श्रमिक कार्य।
ii. नगरीय निकाय कार्यालयों में Multi Task Services कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग कार्य।

7 हेरीटेज संरक्षण से संबद्व कार्य :

8 अन्य कार्य :

i. नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/फेन्सींग/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि से संबद्व कार्य।
ii. नगरीय निकाय क्षैत्र में पार्किग विकास व पार्किग स्थल प्रबंधन से संबद्व कार्य।
iii. आवारा पशुओं को पकडने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य।
iv. राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण।
v. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमत अन्य कार्य।